सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 65/2009

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

श्रीमति गिरीजाकंवर पत्नि स्व.मणीराजसिह जाति राजपूत निवासी पिपलाज तह. सावर जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. गणराजसिह पुत्र महेन्द्रसिह जाति राजपूत निवासी पिपलाज तहसील सावर जिला अजमेर
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–4.6.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प पिपलाज में पेश हुई। वादी/प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53,188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम पिपलाज तहसील सावर जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2065–68 के खाता स. 120 के खसरा नम्बर 90, 106, 109, 110, 117, 1410, 1412, 1736, 1737, 1762, 1763 कुल किता 11 रकबा क्रमशः 2.99, 3.01, 3.21, 2.90, 2.31, 0.47, 0.51, 0.10, 0.55, 0.27 ,0.35 के अनुसार वादी/प्रतिवादी सह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त वादग्रस्त रिकॉर्ड में रेणुकंवर बेवा महेन्द्रसिंह व गणराजसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह व गिरीजाकंवर बेवा मणिराजसिह जाति राजपूत के नाम खातेदारी में दर्ज है। रेणु कंवर के स्वर्गवास के बाद विधिक वारिसान में दर्ज रिकॉर्ड है। वादग्रस्त आराजीयात में वादिनी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी स. 1 का 2/3 हिस्सा है। इसी हिस्से अनुसार काबिज है। वादग्रस्त आराजीयात का विधिवत बंटवारा नही होने के कारण प्रतिवादी स. 1 आये दिन विवाद लडाई झगडा करते है। वादिया द्वारा विधिवत बंटवारा कराये जाने का निवेदन किया है। साथ ही प्रतिवादी स. 1 को कब्जे काश्त ,उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही ंकरनेज हेतु जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें। वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। पत्रावली में जवाब सरकार पेश जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली आज केम्प कोर्ट पिपलाज में पेश हुई ।

हमने दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी का बंटवारा किये जाने हेतु वादीगण की संयुक्त खातेदारी आराजीयात होने वादपत्र का संतुलन वादी के पक्ष में है तथा वादी का वाद प्रेमाफेसाई होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम पिपलाज तहसील सावर जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2065–68 के खाता स. 120 के खसरा नम्बर 90, 106, 109, 110, 117, 1410, 1412, 1736, 1737, 1762, 1763 कुल किता 11 रकबा क्रमशः 2.99, 3.01, 3.21, 2.90, 2.31, 0.47, 0.51, 0.10, 0.55, 0.27,0.35 भूमि का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से व मौके अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु वादी का दावा डिक्री किया जाता है साथ ही प्रतिवादीगण स. 1 को कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करने हेतु ,उपयोग उपभोग , हेतु जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तहसीलदार सावर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं कब्जे अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी